संख्या-217/2016/2108/पांच-6-16-19(जी0)/16

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 29 अगस्त, 2016

विषय-: राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-वे.आ.-2-541/दस-16, दिनांक 06.05.16 व आपके पत्र संख्या-महा.निदे./कैम्प/2016/481, दिनांक 05.08.16 व अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-11फ/2016/महा.निदे./कैम्प/438, दिनांक 26.07.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों एवं सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों (पेंशनरों) को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य कर्मचारियों एवं सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारियों (पेंशनरों) को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया है।

2- उक्त के दृष्टिगत उ0प्र0 सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 यथा संशोधित नियमावली 2014 में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए सुसंगत नियमों में संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

अरूण कुमार सिन्हा
प्रमुख सचिव

संख्या-217/2016/2108(1)/पॉच-6-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/नियुक्ति एवं कार्मिक/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।